"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2014— वैशाख 19, शक 1936

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2014

क्रमांक 15 बी/चार/लो. स. चु./2014/10469.— लोकसभा आम चुनाव-2014 हेतु मतगणना कार्य के लिये अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 434/छ.ग.-लो.स./2014 (2), दिनांक 09 मई, 2014 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(सुनील कुमार कुजूर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 9 मई, 2014 — 19 वैशाख, 1936 (शक)

अधिसूचना

संख्या 434/छ.ग.-लो.स./2014 (2).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग इसके द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2014 की अपनी अधिसूचना सं. 434/छ.ग.-लो.स./2014 (2) और समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के प्रत्येक अधिकारी को ऐसे अधिकारियों के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान मतों की गणना में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप मे नियुक्त करता है :-

सारणी

क्र.सं.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर	
1	5-बिलासपुर	21	जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर
		22	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिलासपुर

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी .

आदेश से,

हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 9th May, 2014—19 Vaisakha, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-HP/2014 (2).— In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, in addition to the officers appointed by its notification No. 434/CG-HP/2014 (2) dated 11th February, 2014 as amended from time to time, each of the officers of the Government of Chhattisgarh as specified in column (2) of the table below as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in Counting of votes in the State of Chhattisgarh as

specified in column (1) of the said during the General election to Lok Sabha in the Chhattisgarh State :-

TABLE

S. No.	No. & Name of Parliamentary Constituencies	Assistant Returning Officer	
01	05 - Bilaspur	21	District Education Officer. Bilaspur
		22	Executive Engineer. Public Health Engineering Department. Bilaspur

The appointment of above Officers as Assistant Returning Officers in respective constituency will cease to be effective on successful completion of counting of votes in the constituency concerned.

By Order,

Sd/-
(R. K. Srivastava)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.